



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-17 जून, 2026

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-159/पशुधन-2/22/1/4/2026-27(एस.सी.पी.), दिनांक-25.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि ₹0-750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
18-प्रकाशन	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00
39-औषधि तथा रसायन	160.00
42-अन्य व्यय	70.00
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	500.00
योग-	750.00

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० का होगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 7. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
 9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
 11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षः 2403007890400 (गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना))**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	18 प्रकाशन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
4	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के	42 अन्य व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)		
5	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

महायोग	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु0सं0-140/2026/1289(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(72)/03-102995. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-140/2026/1289/सैंतीस-2-2026/001-1(72)/03-102995, दिनांक-17 जून, 2026 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2026-27) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18- प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	6	7	8	9
1	मेरठ	0.1293	0.1293	2.9570	0.9333	9.3150	13.4639
2	बागपत	0.1293	0.1293	1.0000	0.9333	3.9630	6.1549
3	गाजियाबाद	0.1293	0.1293	1.1320	0.9333	6.5650	8.8889
4	गौतमबुद्धनगर	0.1293	0.1293	1.2410	0.9333	5.9100	8.3429
5	बुलन्दशहर	0.1293	0.1293	2.2270	0.9333	7.3170	10.7359
6	हापुड	0.1293	0.1293	1.0150	0.9333	4.1970	6.4039
7	सहारनपुर	0.1293	0.1293	2.2480	0.9333	6.0840	9.5239
8	मुजफ्फरनगर	0.5000	0.5000	3.3070	0.9333	7.2680	12.5083
9	शामली	0.1283	0.1283	1.1390	0.9333	5.5880	7.9169
10	मुरादाबाद	0.1283	0.1283	2.3800	0.9333	6.4980	10.0679
11	अमरोहा	0.1283	0.1283	3.2511	0.9333	8.0820	12.5230
12	रामपुर	0.1283	0.1283	1.5040	0.9333	5.7380	8.4319
13	बिजनौर	0.1283	0.1283	2.0810	0.9333	6.7060	9.9769
14	सम्भल	0.1283	0.1283	1.2510	0.9333	7.0020	9.4429
15	बरेली	0.1283	0.1283	2.8980	0.9333	7.1310	11.2189
16	बदायूं	0.1283	0.1283	1.0220	0.9333	7.6730	9.8849
17	शाहजहांपुर	0.1283	0.1283	1.5990	0.9333	7.1880	9.9769
18	पीलीभीत	0.1283	0.1283	1.0950	0.9333	4.4500	6.7349
19	अयोध्या	0.1283	0.1283	1.6570	0.9333	5.2210	8.0679
20	अम्बेडकर नगर	0.1283	0.1283	1.6860	0.9333	5.3130	8.1889
21	सुल्तानपुर	0.1283	0.1283	2.0150	0.9333	7.3480	10.5529
22	बाराबंकी	0.1283	0.1283	2.7520	0.9333	9.6710	13.6129
23	अमेठी	0.1283	0.1283	3.7670	0.9333	8.5660	13.5229

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

24	गोण्डा	0.1283	0.1283	3.6650	0.9333	8.3950	13.2499
25	बलरामपुर	0.1283	0.1283	1.0000	0.9333	3.8030	5.9929
26	बहराइच	0.1283	0.1283	2.1020	0.9333	6.6240	9.9159
27	श्रावस्ती	0.1283	0.1283	1.0220	0.9333	4.2010	6.4129
28	बस्ती	0.1283	0.1283	1.1610	0.9333	4.6570	7.0079
29	संतकबीर नगर	0.1283	0.1283	1.7300	0.9333	3.3000	6.2199
30	सिद्धार्थ नगर	0.1283	0.1283	1.7370	0.9333	4.3230	7.2499
31	गोरखपुर	0.1283	0.1283	2.8180	0.9333	7.7270	11.7349
32	महराजगंज	0.1283	0.1283	1.7670	0.9333	4.4150	7.3719
33	देवरिया	0.1283	0.1283	1.3510	0.9333	6.2550	8.7959
34	कुशीनगर	0.1283	0.1283	1.1460	0.9333	4.6110	6.9469
35	प्रयागराज	0.1283	0.1283	1.2190	0.9333	10.2940	12.7029
36	कौशाम्बी	0.1283	0.1283	1.4670	0.9333	5.6230	8.2799
37	फतेहपुर	0.1283	0.1283	2.4090	0.9333	6.5900	10.1889
38	प्रतापगढ़	0.1282	0.1282	2.3210	0.9333	6.3140	9.8247
39	झांसी	0.1282	0.1282	2.0660	0.9333	6.5090	9.7647
40	ललितपुर	0.1282	0.1282	2.0080	0.9333	7.3250	10.5227
41	जालौन	0.1282	0.1282	1.0000	0.9333	5.8030	7.9927
42	बांदा	0.1282	0.1282	2.7300	0.9333	5.3000	9.2197
43	चित्रकूट	0.1282	0.1282	1.5000	0.9333	5.3000	7.9897
44	हमीरपुर	0.1282	0.1282	1.7300	0.9333	3.3000	6.2197
45	महोबा	0.1282	0.1282	3.7300	0.9333	5.3000	10.2197
46	लखनऊ	0.1282	0.1282	1.6570	0.9333	7.0000	9.8467
47	उन्नाव	0.1282	0.1282	2.8320	0.9333	9.9240	13.9457
48	रायबरेली	0.1282	0.1282	2.6210	0.9333	7.2570	11.0677
49	हरदोई	0.1282	0.1282	3.7960	0.9333	8.9600	13.9457
50	सीतापुर	0.1283	0.1283	2.8400	0.9333	7.9470	11.9769
51	खीरी	0.1283	0.1283	2.7380	0.9333	7.7760	11.7039
52	आजमगढ़	0.1283	0.1283	1.0440	0.9333	7.5910	9.8249
53	मऊ	0.1283	0.1283	1.2599	0.9333	5.8040	8.2538
54	बलिया	0.1283	0.1283	2.3000	0.9333	7.2450	10.7349
55	वाराणसी	0.1283	0.1283	1.0000	0.9333	4.8030	6.9929

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

56	जौनपुर	0.1283	0.1283	2.6350	0.9333	6.4540	10.2789
57	गाजीपुर	0.1283	0.1283	2.8910	0.9333	6.1080	10.1889
58	चन्दौली	0.1283	0.1283	1.9420	0.9333	6.1180	9.2499
59	मिर्जापुर	0.1283	0.1283	2.5190	0.9333	6.9350	10.6439
60	सोनभद्र	0.1283	0.1283	1.8690	0.9333	5.8880	8.9469
61	संतरविदास नगर	0.1283	0.1283	1.1240	0.9333	4.4700	6.7839
62	कानपुर नगर	0.1283	0.1283	3.0440	0.9333	8.4400	12.6739
63	कानपुर देहात	0.1283	0.1283	3.4890	0.9333	9.9530	14.6319
64	फर्रुखाबाद	0.1283	0.1283	3.6790	0.9333	8.2900	13.1589
65	इटावा	0.1283	0.1283	3.5040	0.9333	7.7380	12.4319
66	कन्नौज	0.1283	0.1283	2.0020	0.9333	6.8000	9.9919
67	औरैया	0.1283	0.1283	1.0000	0.9333	5.8030	7.9929
68	आगरा	0.1283	0.1283	3.5840	0.9333	9.4440	14.2179
69	मथुरा	0.1283	0.1283	3.5770	0.9333	9.1190	13.8859
70	मैनपुरी	0.1283	0.1283	2.0850	0.9333	7.7180	10.9929
71	फिरोजाबाद	0.1283	0.1283	2.5330	0.9333	8.9810	12.7039
72	कासगंज	0.1283	0.1283	1.0000	0.9333	4.8100	6.9999
73	एटा	0.1283	0.1283	2.4750	0.9333	7.7970	11.4619
74	अलीगढ़	0.1283	0.1283	3.0220	0.9333	9.6700	13.8819
75	हाथरस	0.1283	0.1283	3.0350	0.9358	6.3940	10.6214
योग-		10.000	10.000	160.000	70.000	500.000	750.000

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।